न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–70/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. फुम्मन सिंह उर्फ रूलिया सिंह पुत्र श्री बख्तावरसिंह, जाति रायसिख, निवासी ग्राम अलापुर, तहसील व जिला अलवर राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. सुरजनसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, जाति रायसिख
2. अरजनसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, जाति रायसिख (मृतक)
   2/1. सुक्का सिंह पुत्र स्व0 श्री अरजन सिंह
   2/2. कुलवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री अरजन सिंह
   2/3. काका उर्फ काला सिंह पुत्र स्व0 श्री अरजन सिंह
   2/4. पहलवान सिंह पुत्र स्व0 श्री अरजन सिंह जाति रायसिख
   निवासीयान ग्राम अलापुर, तहसील व जिला अलवर राज0
3. मक्खनसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, जाति रायसिख (मृतक)
   3/1. कर्मसिंह पुत्र स्व0 श्री मक्खन सिंह
   3/2. किच्छु पुत्र स्व0 श्री मक्खन सिंह
   3/3. बन्तो पुत्री स्व0 श्री मक्खन सिंह जाति रायसिख नाबालिग जरिये सरपरस्त भाई कर्मसिंह पुत्र स्व0 श्री मक्खनसिंह निवासीयान ग्राम अलापुर तहसील व जिला अलवर।
   3/4. मीना पत्नी श्री बिन्दर सिंह पुत्री स्व0 श्री मक्खन सिंह जाति रायसिख हाल ग्राम बोधावास पोस्ट नौगांवा तहसील रामगढ जिला अलवर।
4. मेजरसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, जाति रायसिख निवासीयान ग्राम अलापुर, तहसील व जिला अलवर राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर

...............................असल रेस्पो0

6. रामसिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख
7. ईसरो बाई पुत्री श्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासीयान ग्राम अलापुर तहसील व जिला अलवर राज0

.................तरतीबी रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–

1. श्री नवनीत तिवाडी, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अजीत प्रकाश, अभिभाषक रेस्पो0।

अपील सं0:-73/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामसिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह, जाति रायसिख निवासी ग्राम अलापुर, तहसील व जिला अलवर।

.... अपीलांट

बनाम

1. अरजनसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, जाति रायसिख (मृतक)
   1/1. सुक्का सिंह पुत्र स्व0 श्री अरजन सिंह
   1/2. कुलवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री अरजन सिंह
   1/3. काका उर्फ काला सिंह पुत्र स्व0 श्री अरजन सिंह
   1/4. पहलवान सिंह पुत्र स्व0 श्री अरजन सिंह जाति रायसिख
   निवासीयान ग्राम अलापुर, तहसील व जिला अलवर राज0
2. सुरजनसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, जाति रायसिख
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर

...............................असल रेस्पो0

1. फुम्मन सिंह उर्फ रूलिया सिंह पुत्र श्री बख्तावरसिंह, जाति रायसिख,
2. ईसरो बाई पुत्री श्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासीयान ग्राम अलापुर तहसील व जिला अलवर राज0

................तरतीबी रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :-

3. श्री सचिन खत्री, अभिभाषक अपीलांट।
4. श्री अजीत प्रकाश शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :-25.02.2021

यह दोनों अपील विद्वान सहायक कलेक्टर (मुख्यवास) अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय के तहत पेश किया गया था कि मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 एक ही परिवार के लोग हैं तथा मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नंबर 952 रकबा 0.03 एयर, 983 रकबा 0.36, 984 रकबा 0.12 ऐयर कुल किता तीन कुल क्षेत्रफल 0.51 ऐयर वाके ग्राम अलापुर में स्थित है, जिस पर मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं तथा उक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं जिसका

अंकन हाल जमाबंदी में किया हुआ है। तहत अदालत द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट पलखडी में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 पारित की है। जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि कैम्प कोर्ट पलखडी में किया गया उक्त निर्णय अविधिक है जिस निर्णय व डिक्री पर कैम्प कोर्ट के सदस्यों के हस्ताक्षर नही है। मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के पिता स्व0 श्री बख्तावर सिंह पुत्र श्री फूलसिंह जाति रायसिख का देहान्त वर्ष 2005 में हो चुका है जिनकी मृत्यु उपरानत मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को उनका विधिक तर्का प्राप्त हुआ है एवं उक्त वादग्रस्त आराजीयात मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की पैतृक खातेदारी काश्तकारी की आराजी रही है तथा उक्त आराजीयात पर मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के बुजुर्गान काबिज थे जिन्हें उक्त आराजीयात कस्टोडियन विभाग से आजादी के समय पाकिस्तान से भारत आने पर अलॉट की गई थी जिसके उपरान्त वो शांतिपूर्वक आराजी पर काश्त करते थे, जो आराजीयात कागजातमाल में गैरखातेदारी कस्टोडियन दर्ज है। मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 जो कि उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार हैं तथा अपने हकूक काश्तकारी का इस्तेमाल करते हुये काश्त कर रहे हैं तथा अर्से दराज से काबिज हैं। उक्त आराजी से असल रेस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नही है। मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 जो कि एक ही परिवार के व्यक्ति हैं तथा उक्त आराजीयात जो उनकी खातेदारी काश्तकारी की आराजी है, पर शांतिपूर्ण काबिज है। मिन अपीलांट द्वारा सही तथ्यों पर तहत न्यायालय में राजस्व वाद पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा कैम्प कोर्ट, पलखडी में विवादकों के अनुसार प्रत्येक विवादक का निस्तार नही किया गया।अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के आदेश व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

जबाव बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट पलखडी में पारित निर्णय विधिसम्मत है, समस्त कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कैम्प कोर्ट में उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। पक्षकारान की सहमति से निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 का अवलोकन किया।

तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.06.2016 में अंगूठा निशानी अंकित है। इन अंगूठा निशानी को न तो संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है न ही पीठासीन अधिकारी द्वारा। इससे यह प्रमाणित नही है कि वास्तव में अंगूठा निशानी अपीलांट के ही हैं।

तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 16.06.2016 के अनुसार "तनकीयात कायम की गई, सीधे बहस की गई" । इसका भावार्थ निकलता है कि निर्णय सहमति के आधार पर नही किया गया है जबकि लोक अदालत व स्थाई लोक अदालत के कानून बिंदु संख्या 20 लोक

अदालतों द्वारा मामलों की संज्ञेयता (1)(i)क में केवल पक्षकारों के सहमत होने पर ही लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। तहत अदालत कैम्प कोर्ट द्वारा पक्षकारान की बिना सहमति के निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 पर कैम्प कोर्ट के लिये गठित पैनल के सदस्यों के हस्ताक्षर भी अंकित नही है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय विद्वान सहायक कलेक्टर (मुख्यवास) अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । निर्णय की प्रति दोनों अपील में पृथक–पृथक संलग्न की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर